258

# उत्तराखण्ड शासन
# आबकारी विभाग
## संख्याः 14 / XXIII / 2013 / 04(55) / 2012
## देहरादूनः दिनॉकः 21 जनवरी, 2013

## शुद्धि–पत्र

आबकारी विभाग, द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना संख्या–983 / XXIII / 2012 / 04(55) / 2012 दिनांक–24.12.2012 के बिन्दु संख्या 5 जो कि में एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण के सम्बन्ध में है, में उल्लिखित निम्न :–

"एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2 लाख होगा। आवेदक द्वारा उक्त शुल्क एन0एस0सी0 के रूप में आबकारी आयुक्त के पदनाम से प्रतिश्रुत किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लांट की स्थापना न कर पाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति की धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने का पूर्ण अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा। निर्धारित समयावधि से अधिक समय की मांग किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः सम्पूर्ण धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन को जनहित में निरस्त करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा, किन्तु इस प्रकार एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन निरस्त करने से पूर्व एफ0एल0एम–2 अनुज्ञापी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जायेगा। ऐसे निरस्त एफ0एल0एम0–02 को हुयी हानि का कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, ना ही एफ0एल0एम–02 अनुज्ञापन शुल्क वापस किया जायेगा।"

के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाय :–

"एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2 लाख होगा। उक्त शुल्क के अतिरिक्त आवेदक द्वारा ₹ 2 लाख की प्रतिभूति एन0एस0सी के रूप में जमा करानी होगी जो कि आबकारी आयुक्त के पदनाम से प्रतिश्रुत की जायेगी। निर्धारित समयावधि में आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लांट की स्थापना न कर पाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति की धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने का पूर्ण अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा। निर्धारित समयावधि से अधिक समय की मांग किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः सम्पूर्ण धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन को जनहित में निरस्त करने का अधिकार आबकारी

आयुक्त को होगा, किन्तु इस प्रकार एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन निरस्त करने से पूर्व एफ0एल0एम–2 अनुज्ञापी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जायेगा। ऐसे निरस्त एफ0एल0एम0–02 को हुयी हानि का कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, ना ही एफ0एल0एम–02 अनुज्ञापन शुल्क वापस किया जायेगा।''

2. उक्त अधिसूचना संख्या–983/XXIII/2012/04(55)/2012 दिनांक 24.12.2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्रस्तर यथावत लागू रहेंगे।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या 14 (i)/XXIII/2013/04(55)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री,राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त शासनादेश को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव